जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

बीकानेर

Rashtradoot

epaper.rashtradoot.com

फोनः- 2200660 फैक्स : 0151-2527371 वर्षः 46 संख्याः 270 प्रभात बीकानेर, बुधवार 23 अप्रैल, 2025 डाक प.स.बीकानेर/045/2020-22 पृष्ठ 6 मूल्य 2.50 रू.

पहलगाम में बड़ा आतंकी हमला, 26 लोगों की मौत

बताया जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब यात्रा बीच में ही छोड़कर भारत लौट रहे हैं

- पहलगाम की बैसारन घाटी में पौने तीन बजे यह घटना हुई, उस समय वहाँ काफी पर्यटक थे। चश्मदीदों ने बताया, आतंकियों ने पहले नाम पूछा फिर गोली मारी।
- मृतकों में इटली व इज़रायल का एक-एक पर्यटक व दो स्थानीय नागरिक शामिल हैं, शेष 22 पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु व ओडिशा के हैं।
- घटना की जिम्मेवारी ''द रैज़िस्टैंट फ्रंट'' ने ली है, जो कि लश्कर-ए-तोयबा का हिस्सा है। हादसे के बाद गृह मंत्री अमित शाह तुरंत जम्मू-कश्मीर पहुंचे और राज भवन में आपात बैठक बुलाई।
- जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह, इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं। कांग्रेस ने इस मामले में कड़ी कार्यवाही की मांग की और सरकार को पूर्ण सहयोग का भरोसा दिलाया।

पहलगाम, 22 अप्रैल। जम्मू-कश्मीर में 2019 के पुलवामा अटैक के बाद सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ है। आतंकियों ने मंगलवार को पर्यटकों पर फायरिंग की, जिसमें 26 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में इटली और इज़रायल का एक-एक पर्यटक और 2 स्थानीय नागरिक भी शामिल हैं। बाकी पर्यटक गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु और ओडिशा के हैं।

घटना मंगलवार दोपहर करीब 2.45 बजे पहलगाम की बैसारन घाटी में हुई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकियों ने एक टूरिस्ट से नाम पूछा, फिर उसके सिर में गोली मार दी। इसके बाद, दूसरे पर्यटकों पर फायरिंग करते हुए भाग निकले। हमले की जिम्मेवारी ''द रैज़िस्टैंट फ्रंट'' (टी.आर.एफ.) नामक एक आतंकवादी संगठन ने ली है। इस संगठन को भारत पहले ही आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। जम्मू-कश्मीर में सक्रिय टी.आर.एफ. 2019 में तब सामने आया, जब राज्य से धारा 370 को हटाया गया। टी.आर.एफ. को लश्कर-ए- तोयबा का हिस्सा माना जाता है।

प्रशासन ने शुरुआत में आतंकी हमले में एक मौत की बात कही थी, लेकिन करीब 4 घंटे बाद न्यूज़ एजेंसी ने 26 मौतों की जानकारी दी। घटना में 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। घटना के बाद सुरक्षाबलों ने पहलगाम में हमले वाले इलाके को घेर लिया है। हैलिकॉप्टर से भी नजर रखी जा रही है।

घटना के बाद गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली से श्रीनगर पहुंच गए हैं। वे राजभवन में सेना और प्रशासन के अफसरों के साथ हाई लेवल मीटिंग कर रहे हैं। सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी सऊदी अरब दौरा बीच में छोड़ कर लौट रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख उपेन्द्र द्विवेदी से बातचीत करके हालात की जानकारी ली है।

बताया जा रहा है कि कुल चार आतंकियों ने इस वारदात को अंजाम दिया, जिनमें से तीन पाकिस्तानी और एक लोकल कश्मीरी है। कांग्रेस पार्टी ने सरकार से कहा कि वह उनके साथ है तथा आतंकियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए।

जब दोपहर को यह वारदात हुई, तब सैलानी वहां घुड़सवारी कर रहे थे। तभी आतंकी वहां पहुंचे और उन्होंने पंजाबी में पर्यटकों से उनका मजहब पूछा। पहचान स्थापित होने के बाद लोगों को मौत के घाट उतारा गया। इस दौरान करीब 50 राउण्ड फायरिंग की गई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पहलगाम अटैक पर दुख जताया।

सूत्रों के मुताबिक, मरने वालों में अधिकांश पुरुष हैं। पर्यटकों का नाम पूछ-पूछकर आतंकियों ने उन पर गोली चलाई।

गृह मंत्री अमित शाह ने, पहलगाम के लिए निकलने से पहले, आईबी चीफ, जम्मू-कश्मीर के डीजी और सेना व सीआरपीएफ के आला अधिकारियों के साथ एक हाई-लेवल मीटिंग भी की। पीएम मोदी इस मीटिंग में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उपलब्ध रहे। जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस घटना को लेकर काफी गंभीर हैं।

खुफिया सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक, आतंकी, पर्यटकों के बड़े ग्रुप को टारगेट करने की फिराक में थे। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आतंकी फरार हो गए। सुनियोजित तरीके से पर्यटकों को निशाना बनाया गया। गर्मियों के इस सीजन में घाटी में पर्यटकों की संख्या काफी ज्यादा बढ़ जाती है।

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कोटा में एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की

कोटा, 22 अप्रेल (निसं)। शहर में एक कोचिंग छात्र ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक ने आत्महत्या से पहले एक सुसाइड नोट छोड़ा है, जिसमें उसने यह स्पष्ट किया है कि इस घटना का किसी भी तरह से मेडिकल एंट्रेंस परीक्षा (नीट यूजी) से कोई संबंध नहीं है। उसने अपनी आत्महत्या के कारण को अन्य निजी कारणों से जोड़ते हुए अपील की है कि उसका नाम और उसके परिवार की जानकारी उजागर न की जाए।

कुन्हाड़ी थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि इस घटना की

- मृतक के सुसाइड नोट के अनुसार, आत्महत्या का नीट परीक्षा से संबंध नहीं है।

जानकारी सुबह 6 बजे कुन्हाड़ी थाना पुलिस को मिली। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और हॉस्टल के कमरे का दरवाजा तोड़कर शव को बाहर निकाला। हॉस्टल संचालक के मुताबिक छात्र दरवाजा नहीं खोल रहा था। पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा करने के लिए फॉरेंसिक टीम को बुलाया। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भेजा गया और उसके परिवार को सूचना दी गई। हॉस्टल संचालक के अनुसार, मृतक छात्र बिहार के छपरा जिले का निवासी था और पिछले एक साल से कोटा में मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा था।

थानाधिकारी अरविंद भारद्वाज ने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

दाऊदी बोहरा मुसलमान, वक्फ संशोधन विधेयक में सरकार का साथ देंगे

जाने-माने अधिवक्ता हरीश साल्वे इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में बोहरा समाज का पक्ष रखेंगे

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। वक्फ संशोधन बिल नए कानूनी व राजनैतिक मोड़ की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि दाऊदी बोहरा समाज कथित रूप से सुप्रीम कोर्ट में विधेयक के पक्ष में याचिका दायर करने की तैयारी कर रहा है। इस कदम का समस्त मुस्लिम समाज ने कड़ा विरोध किया है और कई संगठनों ने इस मुद्दे पर बोहरा समाज के नेतृत्व के मोदी के साथ खड़े होने पर चिंता जताई है।

उल्लेखनीय है कि बोहरा मुस्लिम समाज ने पहले ही प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलकर समुदाय की लम्बे समय से चली आ रही चिंता का समाधान करने और नए कानून में उन्हें शामिल करने के लिए आभार जताया था। समझा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे बोहरा मुसलमानों का पक्ष रखेंगे। इससे इस केस को और बल मिलेगा।

लेकिन यह बात अन्य मुस्लिम संगठनों और राजनैतिक दलों को रास नहीं आई है। जाने-माने इस्लामिक स्कॉलर, जो पवित्र कुरान का अंग्रेजी अनुवाद करने के लिए विख्यात हैं, ने बोहरा समुदाय के इस कदम की आलोचना की और कहा कि ऐसे मुश्किल समय में यह कदम बांटने वाला है। उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब सरकार के इस असंवैधानिक कदम को चुनौती देने के लिए देश के 20 करोड़ मुसलमान एकजुट हैं, ऐसे में एक छोटा सा समुदाय, 2 लाख बोहरा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- एक इस्लामिक स्कॉलर, जिसने कुरान का अनुवाद अंग्रेज़ी में किया है, ने इस मुद्दे पर कहा कि, यह दुर्भाग्य की बात है कि जब बीस करोड़ मुसलमान एकजुट होकर इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं, तब दो लाख व्यक्तियों का समाज, सरकार का इस मुद्दे पर समर्थन कर रहा है।
- इस स्कॉलर के अनुसार, यह मोदी सरकार की सोची समझी साजिश है, सुप्रीम कोर्ट को उलझाने व भ्रमित करने के लिये।
- हैदराबाद में आयोजित एक विशाल रैली में इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया गया कि ''जॉइन्ट पार्लियामैंटरी कमेटी की बैठक में दाऊदी बोहराओं ने पुरजोर ढंग से साफ कहा था कि वे वक्फ विधेयक का विरोध करेंगे, पर, अब वे कैसे बदल गये।''
- वैसे बोहरा मुस्लिम समाज के नेताओं ने प्र.मंत्री मोदी व राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू से मिलकर आभार व्यक्त किया, वक्फ के प्रबंधन में आयी बदइंतजामी को दूर करने का प्रयास करने के लिए।

'संसद ही सुप्रीम है'

दिल्ली विश्वविद्यालय के समारोह में उपराष्ट्रपति धनखड़ ने पुरजोर ढंग से सुप्रीम कोर्ट को उसकी जगह बताई

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रेल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने एक बार फिर सरकार के अधिकार क्षेत्र में सर्वोच्च न्यायालय के प्रवेश पर प्रश्न खड़े किये। उन्होंने कहा कि संविधान में कहा गया है कि ''संसद (विधायिका) सर्वोच्च है'' तथा ''निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद) संविधान के स्वरुप के मूल एवं अंतिम नियन्ता (अल्टीमेट मास्टर्स) हैं। --- उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं हो सकती।''

धनखड़ ने मंगलवार सुबह दिल्ली विश्वविद्यालय के एक आयोजन में उनके पूर्ववर्ती बयानों पर किये गये हमलों की आलोचना करते हुये, पलटवार किया तथा कहा, ''किसी संवैधानिक पदाधिकारी द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द सर्वोच्च राष्ट्रीय हित के मार्गदर्शन में होता है। सर्वोच्च न्यायालय पर सार्वजनिक रुप से किये गये हमलों में दो ऐतिहासिक फैसलों 1967 के आई.सी. गोलकनाथ केस तथा 1973 के केशवानन्द भारती केस- में संविधान की प्रस्तावना के बारे में परस्पर विरोधाभासी टिप्पणियों की आलोचना भी शामिल थी। धनखड़ ने 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल के दौरान अदालत की भूमिका पर भी प्रश्न खड़े किये।

धनखड़ ने कहा, ''एक केस में, सर्वोच्च न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है, वहीं दूसरे केस में न्यायालय कहता है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है।-- लेकिन संविधान के बारे में कोई सन्देह या भ्रम नहीं होना चाहिये। निर्वाचित प्रतिनिधि ही संविधान के स्वरुप के अंतिम निर्वाचक होगे। उनसे ऊपर कोई सत्ता नहीं हो सकती।''

धनखड़ ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने आपातकाल लगाये जाने तथा मौलिक अधिकारों के निलम्बन के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- धनखड़ के अनुसार, निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद) अंतिम निर्णय लेंगे कि संविधान क्या कहता है।
- धनखड़ ने 1975 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा घोषित आपातकाल का उदाहरण देते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नौ हाई कोर्टस के निर्णय को बदल दिया था। सुप्रीम कोर्ट यह बात कहने में चूक गया था, जो नौ हाई कोर्ट्स ने कही थी कि, प्रजातंत्र में जनता के मूल अधिकारों को ठंडे बस्ते में नहीं डाला जा सकता है।

ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन में विभाग के परिपत्र की पालना क्यों नहीं?

जयपुर, 22 अप्रैल। राजस्थान हाईकोर्ट ने ग्राम पंचायत के पुनर्गठन के मामले में पंचायती राज विभाग के परिपत्र की पालना नहीं करने से जुड़े मामले में पंचायती राज आयुक्त और झुंझुनूं कलेक्टर सहित, अन्य से जवाब तलब किया है। जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने ये आदेश बाबूलाल

- हाई कोर्ट ने पंचायतीराज आयुक्त व झुँझुनूँ कलैक्टर से जवाब मांगा।

यादव की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि झुंझुनूं की छापोली ग्राम पंचायत का पुनर्गठन कर अलग ग्राम पंचायत बनाई जा रही है। पंचायती राज विभाग के गत 13 फरवरी के परिपत्र के अनुसार, नई ग्राम पंचायत में शामिल होने वाले सभी स्थानों की सीमा मिलनी जरूरी है,

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

'न तो संसद और न ही ''एक्ज़ीक्युटिव'' (सरकार) सुप्रीम है, केवल संविधान ही सुप्रीम है'

वरिष्ठ अधिवक्ता, पूर्व विधि मंत्री व सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कपिल सिब्बल ने धनखड़ के उद्बोधन से नाइत्तफाकी जताई

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्देश, कि भारत के राष्ट्रपति को, राज्यपालों द्वारा उनकी (राष्ट्रपति) सम्मति के लिये आरक्षित विधेयकों पर, तीन माह के अन्दर निर्णय लेना होगा, के बाद, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ तथा वरिष्ठ एडवोकेट कपिल सिब्बल के बीच तीखी संवैधानिक बहस छिड़ गई है।

उपराष्ट्रपति धनखड़, जो राज्यसभा के सभापति भी हैं, ने दृढ़तापूर्वक कहा कि ''संसद सर्वोच्च है तथा संविधान इससे ऊपर किसी सत्ता को नहीं मानता है।''

धनखड़ के इस बयान का खण्डन करते हुए, सिब्बल ने आज कहा कि न तो संसद सर्वोच्च है और न कार्यपालिका, सर्वोच्च तो संविधान है।''

इस विवाद में एक और ज्वलंत प्रश्न पैदा हो गया है- भारत के संवैधानिक ढाँचे में कौनसी संस्थाएं सर्वोपरि हैं?

धनखड़ ने कहा है कि निर्वाचित प्रतिनिधि संविधान के ''अल्टीमेट मास्टर्स'' है तथा संसद की सर्वोच्चता आधारभूत है। उन्होंने न्यायपालिका पर आरोप लगाया कि विधेयकों पर निर्णय लेने के लिये राष्ट्रपति एवं राज्यपालों के लिये समय-सीमा तय करके, न्यायपालिका ''सुपर पॉर्लियामैंट'' का काम कर रही है।

सिब्बल, जो पूर्व केन्द्रीय मंत्री तथा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, ने धनखड़ के बयान का सटीक खंडन करते हुए कहा कि ''संविधान के प्रावधानों की व्याख्या सर्वोच्च न्यायालय करता है। देश ने अब तक कानून के अर्थ को इसी प्रकार समझा है।'' उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायाल के हाल ही के फैसले, जिनमें वे फैसले भी शामिल हैं, जिनकी आलोचना सरकार के पदाधिकारियों ने की है, संवैधानिक मूल्यों के अनुकूल थे तथा राष्ट्रहित द्वारा संचालित एवं निर्देशित थे।

सिब्बल ने संविधान द्वारा प्रदत्त विशिष्ट भूमिकाओं पर भी प्रकाश डाला: संसद को विधेयक पारित करने का पूर्ण अधिकार है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय के पास संविधान की व्याख्या करने का तथा अनुच्छेद 142 के तहत, पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने का दायित्व है। सिब्बल ने धनखड़ के ''राजनैतिक रंगत वाले'' रुख की आलोचना करते हुये कहा कि किन्हीं भी सदनों की अध्यक्षता करने

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- सिब्बल ने इसी लय में कहा, संविधान के प्रावधानों की सुप्रीम कोर्ट व्याख्या करता है और देश ने इस सिद्धांत को समझा है और अब तक चलता आया है।

इंडोनेशिया में भूकंप के झटके

जकार्ता, 22 अप्रैल । इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी प्रांत में मंगलवार को भूकंप के जोरदार झटके महसूस किये गये।

मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान एवं भूभौतिकी एजेंसी के अनुसार, भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.6 आंकी गयी, लेकिन इससे बड़ी लहरें नहीं उठीं। भूकंप के झटके जकार्ता समयानुसार 17:17 बजे महसूस किये

- रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 6.6 नापी गई है।

गये। इसका केन्द्र केपुलांग तलौद रीजैंसी से 67 किलोमीटर दक्षिण-पूर्व में समुद्र तल से 107 किमी की गहराई पर स्थित था। एजेंसी ने सुनामी की चेतावनी जारी नहीं की, क्योंकि भूकंप से विनाशकारी लहरों के उत्पन्न होने की आशंका नहीं हैं। गौरतलब है कि भूकंपीय रूप से सक्रिय प्रशांत रिंग ऑफ फायर पर स्थित इंडोनेशिया में अक्सर भूकंप आते रहते हैं और तीव्र टेक्टोनिक गतिविधि के कारण यहां 127 सक्रिय ज्वालामुखी हैं।

उपराष्ट्रपति वैंस ने भारत-अमेरिका वार्ता में ''चमत्कारिक प्रगति'' का दावा किया

वैंस ने कई क्षेत्र, जैसे डिफैन्स प्रोडक्शन, ऊर्जा, जटिल टैक्नॉलजी, फार्मास्युटिकल्स व ''डेटा सैन्टर'' , ''कोलैबोरेशन'' (आपसी सहयोग) के लिये चिन्हित किये

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 22 अप्रैल। तमाम नकारात्मक भविष्यवाणियों के बावजूद, भारत के साथ चल रही व्यापार वार्ताओं में अमेरिका प्रगति का दावा कर रहा है। वाइट हाउस की आज की प्रैस ब्रीफिंग में ऐसा ही संकेत दिया गया, जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जे.डी. वैंस ने पिछले दो दिनों में भारतीय अधिकारियों के साथ बातचीत और संबोधनों के दौरान यह बात कही।

उपराष्ट्रपति वैंस ने स्पष्ट रूप से उन क्षेत्रों को चिन्हित किया, जहाँ भारत और अमेरिका मिलकर बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया कि भारत कुछ गैर-शुल्क बाधाओं को हटा सकता है, जो अमेरिकी उत्पादों की भारत में प्रवेश में रुकावट डालती हैं। ये बाधाएँ व्यापार के मुक्त प्रवाह के लिए एक बड़ी अड़चन हैं।

इसके अलावा, अमेरिका ने कई क्षेत्रों में भारत के साथ ''सहयोग'' बढ़ाने के अवसरों को भी चिन्हित किया, जिनमें संयुक्त रक्षा उत्पादन, ऊर्जा क्षेत्र, उच्च प्रौद्योगिकी, फार्मास्युटिकल्स और डेटा सेंटरों की स्थापना शामिल हैं। ये वे उद्योग हैं, जो भविष्य में वैश्विक अर्थव्यवस्था में प्रमुख भूमिका निभाएंगे, और कई देश अपने आप को इन क्षेत्रों में स्थापित करने के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

वैंस और अमेरिकी दस्तावेज़ों से यह साफ़ संकेत मिलता है कि इन साझा क्षेत्रों की पहचान के लिए गहन शोध किया गया है। ये सहयोग केवल व्यापार तक सीमित नहीं है, बल्कि वैंस के शब्दों में ''सहयोग'' भविष्य के रिश्तों की कुंजी होगा।

उपराष्ट्रपति वैंस ने विशेष रूप से जोर दिया कि भारत को अमेरिकी रक्षा

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

- विशेषकर जोर दिया कि डिफैन्स इक्युपमैंट (हथियार व आयुध) भारत, अमेरिका से खरीदे, जैसे, आधुनिकतम एफ-35 लड़ाकू विमान।
- उपराष्ट्रपति ने एनर्जी सैक्टर तथा भारत के प्राकृतिक गैस व ऑयल के ''ऑफशोर'' (तटीय क्षेत्र) में मौजूद भण्डार के दोहन के आपसी सहयोग (कोलैबोरेशन) की बात पर जोर दिया।
- उपराष्ट्रपति ने जोर देकर कहा कि अमेरिका के पास इस काम के लिये आवश्यक टैक्नॉलजी व मनोइच्छा है।
- अमेरिका को भारत भारी एक्सपोर्ट करता है, फार्मास्युटिकल का। पर भारत, इन फार्मास्युटिकल्स के मूलभूत रसायन (एपीआई) चीन से आयात करके फार्मास्युटिकल्स में परिवर्तित करके अमेरिका को बेचता है। पर, चीन अगर इन मूल कैमिकल्स के निर्यात को प्रतिबंधित कर दे, भारत की फार्मास्युटिकल्स इण्डस्ट्री ठप्प हो सकती है।
- पर, फिर भी अमेरिकी ऑफिशियल्स का मानना है कि चीन व यूरोपियन्स की हिचकिचाहट से जो जगह खाली हुई है, उसे आसानी से भरने का अद्वितीय मौका है, भारत के पास।

दिल्ली हाईकोर्ट की बाबा रामदेव को फटकार

नयी दिल्ली, 22 अप्रैल। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को उस विडियो पर नाराजगी जताई, जिसमें बाबा रामदेव ने शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया था। जस्टिस अमित बंसल ने कहा कि यह बयान माफी लायक नहीं है। इसने कोर्ट की अंतरआत्मा झकझोर दी।

कोर्ट की फटकार के बाद पतंजलि के फाउंडर रामदेव ने कहा कि हम ऐसे

- दिल्ली हाईकोर्ट ने ''शरबत जिहाद'' टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। बाबा रामदेव ने ऐसे सभी वीडियो हटाने का वादा किया।

सभी हटा लेंगे, जिनमें धार्मिक टिप्पणियां की गई हैं। कोर्ट ने रामदेव को एफिडेविट दाखिल करने का आदेश भी दिया है।

बाबा रामदेव ने 3 अप्रैल को

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)